भारत में अपराध – 2020

झलकियाँ (महानगर - >20 लाख जनसंख्या)

(19 महानगर: अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोझीकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे और सूरत)

क) समग्र अपराध

i. वर्ष 2020 के दौरान 19 महानगरों में कुल 9,24,016 संज्ञेय अपराधों को दर्ज किया गया, जिनमें 6,68,061 अपराध भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) के तहत और 2,55,955 स्थानीय और विशेष कानून (स्था. एवं वि. का.) से संबंधित अपराध थे। इन अपराधों में 2019 (8,59,117 मामले) की तुलना में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। **[तालिका -1बी.1 और 1बी.2]**

ii. 2020 के दौरान, भा.दं.सं. के तहत दर्ज किए गए अपराधों में 10.9% की वृद्धि हुई है और स्था. एवं वि. का. के तहत पंजीकृत अपराधों में 2019 की तुलना में 0.2% की मामूली कमी आई है। **[तालिका - 1बी.1 और 1बी.2]**

iii. 2020 के दौरान भा.दं.सं. अपराधों की प्रतिशत भागिता 72.3% थी, जबकि स्था. एवं वि. का. मामलों का प्रतिशत 27.7% था। **[तालिका - 1बी.1 और 1बी.2]**

iv. 2020 के दौरान भा.दं.सं. अपराधों के तहत अधिकांश मामले चोरी के (6,68,061 मामलों में से 2,20,772) दर्ज किए गए थे, जो कुल मामलों के 33.0% थे। इसके बाद लोक सेवकों द्वारा विधिवत जारी किये गये आदेशों की अवज्ञा (भा.दं.सं. की धारा 188) के मामले 23.4% (कुल 1,56,593 मामले) पाये गये और उपहति के मामले 5.3% (कुल 35,081 मामले) रहे। **[तालिका - 1बी.4]**

v. वर्ष 2020 के दौरान स्था. एवं वि. का. अपराधों के अंतर्गत अधिकांश मामले निषेध अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे, जो कुल मामलों के 21.8% (2,55,955 मामलों में से 55,743) थे, इसके बाद शहर/नगर पुलिस अधिनियम के मामले 12.0% (कुल 30,812) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित मामले 4.8% (कुल 12,225 मामले) दर्ज किये गये। **[तालिका - 1बी.5]**

vi. वर्ष 2020 के दौरान, कुल 9,36,227 भा.दं.सं. मामले (पिछले वर्ष से लंबित 2,67,989 मामले + वर्ष के दौरान दर्ज किए गए 6,68,061 मामले + जांच के लिए फिर से खोले गए 177 मामले) जांच के दायरे में थे, जिनमें से कुल 5,45,864 मामलों का पुलिस द्वारा निपटान किया गया था, जिनमें से 3,03,422 मामलों में आरोप-पत्र दायर किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप आरोप-पत्र दायर करने की दर 55.6% प्राप्त हुई। इस प्रकार भा.दं.सं.मामलों में आरोप-पत्र दायर करने की दर 2019 के 42.0% की तुलना में 32.3% बढ़ गई है।

ख) मानव शरीर को आहत करने वाले अपराध[1] – सारांश

मानव शरीर को आहत करने वाले अपराधों के कुल 70,016 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2020 के दौरान 19 महानगरों के कुल भा.दं.सं. अपराधों का 10.5 प्रतिशत था। इन मामलों में उपहति के मामले (कुल 35,081) सर्वाधिक (50.1%) थे और उसके बाद सबसे ज्यादा अपहरण और व्यपहरण के मामले (कुल 10,297, 14.7%) एवं शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमले के मामले (कुल 6,964, 9.9%) दर्ज हुए। **[तालिका - 1बी.4]**

मानव शरीर को आहत करने वाले अपराधों के अंतर्गत दर्ज मामलों (कुल 92,528) में 2019 की तुलना में 2020 में 24.3% की कमी देखी गई। इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज अपराधों की दर 2019 में 81.1% से घटकर 2020 में 61.4% हो गई। **[तालिका - 1बी.4]**

ग) हत्या

i. 2020 के दौरान हत्या के कुल 1,849 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2019 के 2,017 मामलों की तुलना में 8.3% की कमी देखी गई। दर्ज की गई अपराध दर भी 2019 में 1.8 की कमी के साथ 2020 में 1.6 हो गई है। **[तालिका - 2बी.1]**

ii. हत्या के सभी मामलों को देखें तो 'आपसी विवाद' (कुल 659 मामले) सबसे अधिक मामलों में मूल उद्देश्य रहा। इसके बाद 'आपसी रंजिश या दुश्मनी' (396 मामले) और 'प्रेम प्रसंग' (96 मामले) हत्या के मूल उद्देश्य बनकर सामने आये। **[तालिका - 2बी.2]**

घ) अपहरण एवं व्यपहरण

i. 2020 के दौरान अपहरण और व्यपहरण के कुल 10,297 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 (14,719 मामले) की तुलना में 30.0% कम रहे। **[तालिका - 2डी.1]**

ii. 2020 के दौरान, कुल 11,494 अपहृत या व्यपहृत व्यक्तियों (3,406 पुरुष और 8,088 महिला) को छुड़ा लिया गया, जिनमें से 11,458 व्यक्ति जीवित बचा लिये गये, वहीं 36 मृत पाए गए। **[तालिका - 2डी.4]**

च) सार्वजनिक शांति भंग करने के अपराध

2020 के दौरान भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सार्वजनिक शांति भंग करने के अपराधों के कुल 4,437 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से दंगों के मामले (2,264) जो कि ऐसे कुल मामलों का 51.0% हैं। सार्वजनिक शांति भंग करने के अपराधों के मामलों में 2019 (3,893 मामले) की तुलना में 2020 में 14.0% की वृद्धि दर्ज की गई है। **[तालिका - 1बी.4]**

छ) महिलाओं के प्रति अपराध

i. वर्ष 2020 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 35,331 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 (44,783 मामले) की तुलना में 21.1% की कमी दर्शाता है। **[तालिका - 3बी.1]**

नोट 1 : भा.दं.सं. के अध्याय XVI में 'मानव शरीर को आहत करने वाले अपराधों" से संबन्धित प्रावधान वर्णित हैं।

ii. महिलाओं के प्रति अपराध के अधिकांश दर्ज मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (30.2%) के पाये गये, इसके बाद 'शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला' होने के मामले(19.7%), 'अपहरण और व्यपहरण' के मामले (19.0%) और इसके बाद 'बलात्संग ' के मामले (7.2%) मुख्य रूप से दर्ज किये गये। **[तालिका - 3बी.2]**

ज) बच्चों के प्रति अपराध

i. वर्ष 2020 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध के कुल 15,043 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2019 (21,133 मामले) की तुलना में 28.8% की कमी दर्ज की गई है। **[तालिका - 4बी.1]**

ii. प्रतिशत की दृष्टि से, 'बच्चों के प्रति अपराध' के तहत दर्ज अधिकांश मामलों में प्रमुखता अपहरण और व्यपहरण (55.3%) की रही। तत्पश्चात यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज मामले (32.4%) सर्वाधिक पाये गये। **[तालिका - 4बी.2]**

झ) कानूनी मामलों में फँसे किशोर

i. वर्ष 2020 के दौरान किशोरों के प्रति कुल 5,974 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2019 (6,885 मामले) की तुलना में 13.2% कम रहे। **[तालिका - 5बी.1]**

ii. 2020 के दौरान 5,974 मामलों में कुल 7,475 किशोरों को पकड़ा गया, जिनमें से 6,774 किशोरों को भा.दं.सं. मामलों में और 701 किशोरों को स्था. एवं वि. का. मामलों में बंदी बनाया गया। **[तालिका - 5बी.4]**

iii. 2020 के दौरान भा.दं.सं. एवं स्था. एवं वि. का. अपराधों के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले जो किशोर पकड़े गये, उनमें से अधिकांश (75.5%) (कुल 7,475 में से 5,644) 16 से 18 आयु वर्ग के थे। **[तालिका -5बी.4]**

ट) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

वर्ष 2019 के 4,867 मामलों की तुलना में 2020 के दौरान 19 महानगरों में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) के प्रति अपराध के कुल 4,029 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 की तुलना में 17.2% कम रहे।

अपराध शीर्ष-वार मामलों से पता चला है कि 2020 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ एफसीएफ (जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी) के 26.4%, कुल 1,063 मामले दर्ज हुए जो कि अन्य अपराधों की तुलना में सबसे अधिक थे, इसके बाद चोरी (23.4%, 943 मामले) का स्थान रहा। **[तालिका – 6बी.1]**

ठ) अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध/ अत्याचार

अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध के कुल 1,485 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 (1,667 मामले) की तुलना में 10.9% कम हैं। अपराध शीर्ष-वार आँकड़े बताते हैं कि 2020 के दौरान अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों/अत्याचारों के तहत दर्ज किए गए मामलों में आपराधिक धमकी (संत्रास) के मामले (249 मामले)

16.8% के साथ सबसे ऊपर रही हैं। इसके बाद 13.9% के साथ सर्वाधिक बलात्संग (206 मामले) और 10.7% सामान्य उपहति के मामले (159 मामले) दर्ज किये गये। **[तालिका - 7बी.2]**

ङ) अनुसूचित जन जातियों के प्रति अपराध/ अत्याचार

अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध के तहत कुल 221 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 (258 मामले) की तुलना में 14.3% कम रहे। अपराध शीर्ष-वार आँकड़े बताते हैं कि 2020 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों / अत्याचारों के तहत दर्ज किए गए सबसे अधिक मामले बलात्संग (37 मामले) के दर्ज किये गये, सामान्य उपहति के मामले 9.0% (20 मामले) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत 8.1% (18 मामले) दर्ज किये गये । **[तालिका - 7डी.2]**

ढ) आर्थिक अपराध

आर्थिक अपराधों के तहत कुल 26,970 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 (33,979 मामले) में पंजीकृत मामलों की तुलना में 20.6% कम रहे। 19 महानगरों में, आर्थिक अपराधों की तीन निर्दिष्ट श्रेणियों यानी आपराधिक विश्वासघात, कूटकरण और एफसीएफ (जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी) में से, 2020 के दौरान एफसीएफ (24,527 मामले) के अंतर्गत अधिकतम (90.9%) मामले दर्ज किए गए। **[तालिका - 8बी.2]**

त) साइबर अपराध

साइबर अपराधों के तहत कुल 18,657 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2019 (18,500 मामलों) की तुलना में 0.8% अधिक रहे। 2020 में साइबर अपराध दर भी 2019 के 16.2 से बढ़कर 16.4 हो गई। अपराध के शीर्ष-वार मामलों से पता चलता है कि कंप्यूटर से संबंधित अपराध (आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत) (11,356 मामले, 60.9%) 2020 के दौरान साइबर अपराधों में अग्रगण्य रहे। **[तालिका - 9बी.2]**

थ) सम्पत्ति से जुड़े अपराध

`संपत्ति से जुड़े अपराधों के तहत 2019 में दर्ज 3,33,439 मामलों की तुलना में, 2020 में कुल 2,40,409 मामले दर्ज किए गए, जो गत वर्ष की अपेक्षा 27.9% कम रहे। सबसे ज्यादा मामले चोरी के (कुल 2,20,772) दर्ज किए गए, जो ऐसे कुल मामलों के 91.8% थे।

चोरी के सबसे अधिक मामले (कुल 1,75,442) दिल्ली में दर्ज किए गए, इसके बाद जयपुर (6,490 मामले), मुंबई (6,234 मामले) और बेंगलुरु (5,332 मामले) में सर्वाधिक मामले दर्ज किये गये जो कि कुल दर्ज मामलों के क्रमशः 79.5%, 2.9%, 2.8% और 2.4% रहे। **[तालिका - 1बी.4]**

द) दस्तावेज़ एवं संपत्ति चिह्न से संबंधित अपराध

2019 में दर्ज 30,779 मामलों की तुलना में, 2020 के दौरान दस्तावेज एवं सम्पत्ति चिह्न से संबंधित अपराध के तहत 24,630 मामले दर्ज किए गए, जिनमें आपराधिक विश्वासघात, कूटकरण और एफसीएफ (जालसाजी,

ठगी और धोखाधड़ी) शामिल हैं। एफसीएफ के अंतर्गत अपराध (कुल 24,527) ऐसे कुल मामलों के 99.6% रहे। **[तालिका - 1बी.4]**

ध) भा.दं.सं. के तहत दर्ज मामलों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान

क्रमांक	भा.दं.सं.के तहत अपराध	जाँच के लिये प्रस्तुत कुल मामले	कुल मामले जिनमें आरोप-पत्र दायर हुए	आरोप-पत्र दायर होने की दर	विचारणाधीन कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि दर
1.	हत्या	3,058	1,664	90.1	20,811	204	50.0
2.	बलात्संग	3,853	2,224	87.8	19,646	162	33.3
3.	दंगे	4,216	1,742	92.4	28,374	169	30.3
4.	अपहरण और व्यपहरण	25,835	1,924	17.7	25,174	92	27.8

न) स्था. एवं वि. का. मामलों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान

क्रमांक	स्थानीय एवं विशेष कानूनों के तहत अपराध	जाँच के लिये प्रस्तुत कुल मामले	कुल मामले जिनमें आरोप-पत्र दायर हुए	आरोप-पत्र दायर होने की दर	विचारणाधीन कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि दर
1.	आबकारी अधिनियम	15,296	10,861	98.7	50,764	2,522	84.2
2.	मोटर वाहन अधिनियम	3,526	2,994	89.6	81,460	4,482	98.7
3.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	22,700	10,670	99.8	63,559	5,014	94.4

प) गिरफ्तारियां, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति

2020 के दौरान 19 महानगरों में कुल 9,71,206 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण इस प्रकार हैं:

i. 6,68,061 भा.दं.सं. अपराधों के तहत कुल 6,87,289 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 4,36,786 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया; 57,725 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया; 30,172 व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया और 3,580 व्यक्ति रिहा कर दिये गये। **[सारणी - 19बी.6]**

ii. 2,55,955 स्था. एवं वि. का. अपराधों के तहत कुल 2,83,917 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 2,22,431 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किये गये, 59,222 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया, 7,224 व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया और 508 व्यक्ति रिहा कर दिये गये। **[तालिका - 19बी.8]**

19 महानगरों में से, भा.दं.सं. अपराधों के तहत आरोप-पत्र दायर करने की दर क्रमशः सूरत (96.7%), कोयंबटूर (96.6%) और अहमदाबाद (96.3%) में अधिकतम रही।